ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2024 का कार्यवृत्त

समयः– 11:30 बजे पूर्वाह्न

स्थान – कुलपति आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष।

उपस्थितिः–

1.	प्रो0 संजय कुमार चौधरी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
3.	प्रो0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
4.	प्रो0 विजय कुमार यादव	–	सदस्य
5.	डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी	–	सदस्य
6.	डॉ0 श्याम चन्द्र गुप्ता, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
7.	प्रो0 शाहिद हसन, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
8.	डॉ0 नौशाद आलम, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
9.	डॉ0 अमर कुमार	–	सदस्य
10.	श्रीमती मीना कुमारी	–	सदस्य
11.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
12.	डॉ0 हरिनारायण सिंह	–	सदस्य
13.	डॉ0 धनेश्वर प्रसाद सिंह	–	सदस्य
14.	श्री गोपाल जी ठाकुर	–	सदस्य
15.	डॉ0 अजय कुमार पंडित, कुलसचिव	–	सचिव

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गणापूर्ति की सूचना कुलसचिव से मांगी गई। कुलसचिव ने सूचित किया कि आज की बैठक के लिए गणापूर्ति पूरी हो चुकी है, इसलिये माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाए। कुलपति–सह–अध्यक्ष से अनुमति प्राप्ति उपरान्त कुलसचिव–सह–सचिव सभी आगत सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की।

निम्नांकित मदों पर विचार किया जायः–

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 07.05.2024 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से अभिषद् की गत बैठक दिनांक 07.05.2024 की कार्यवृत को सम्पूष्ट किया गया।**

मद सं0 2. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन--प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः **अभिषद् की बैठक दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन–प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 3. दिनांक 12.07.2024 को आहूत प्रोन्नति समिति की बैठक के कार्यवृत्त विचारार्थ/अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णयः विमर्शोपरान्त दिनांक 12.07.2024 को हुए प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवृत्त को सैद्धांतिक रुप से अनुमोदित किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों में अस्थाई उच्चतर पद पर प्रभार दिए गए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी की सूची, बजट आदि पर विचार हेतु अभिषद् की बैठक में उपस्थापित किया जाएगा तथा राज्य सरकार से पदानुरुप राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

मद सं0 4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में महाविद्यालय के प्रधान लिपिक को प्रशाखा पदाधिकारी (महाविद्यालय सेवा) एवं लेखापाल/प्रधान लिपिक लेखा को प्रशाखा पदाधिकारी लेखा (महाविद्यालय सेवा) के रुप में पदनामित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं0 5. श्रीमती केवला देवी, रुटीन क्लर्क, के C.M. Sc. College, Darbhanga स्वैच्छिक सेवानिवृति की अनुमति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं0 6. स्व0 त्रिभुवन कान्त ठाकुर, पूर्व आदेशपाल, एम0के0एस0 पुस्तकालय, ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा के पुत्र श्री सुनील ठाकुर को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य करने पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, स्व0 त्रिभुवन कान्त ठाकुर, पूर्व आदेशपाल, एम0के0एस0 पुस्तकालय, ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा के पुत्र श्री सुनील ठाकुर को पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किए जाने हेतु नियमानुकूल निर्णय लिए जाने के लिए माननीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

मद सं0 7. विश्वविद्यालय सेवान्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों/अंगीभूत महाविद्यालयों में दिनांक 31.05.2024 तक विभिन्न विषयों में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के सेवा नवीनीकृत हेतु चयन समिति के द्वारा किये गये अनुशंसा के स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय सेवान्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों/अंगीभूत महाविद्यालयों में दिनांक 31.05.2024 तक विभिन्न विषयों में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के सेवा नवीनीकृत किए जाने हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 12.07.2024, 13.07.2024 एवं 14.07.2024 द्वारा किए गए अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान किया गया।

मद सं0 8. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा हिन्दी, दर्शनशास्त्र, इतिहास एवं गणित विषयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/97/24 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा हिन्दी, दर्शनशास्त्र, इतिहास एवं गणित विषयों में कुल 4 सहायक प्राचार्य के पद पर विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/97/24 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा किये गए नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

मद सं0 9. डॉ0 सच्चिदानन्द सिंह, से0नि0, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायनशास्त्र विभाग, जी0डी0 कॉलेज, बेगूसराय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या– 5859/96 दिनांक 21.02.2000 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के प्रभाव से मुक्त करने हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 10. विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/3498-3536/17 दिनांक 23.09.2017 के द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत सेवानिवृत किये गये छः प्रधानाचार्यों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त सेवानिवृत करने हेतु मामला अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/3498-3536/17 दिनांक 23.09.2017 के द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत सेवानिवृत किये गये छः प्रधानाचार्यों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त सेवानिवृति किए जाने की अधिसूचना निर्गत करने एवं उक्त अवधि के बकाये वेतन की भुगतान नियमानुकूल करने की स्वीकृति दी गई।**

मद सं0 11. डॉ0 मो0 मोतिउर रहमान, सहायक प्राचार्य, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर उर्दू विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को खादिमुल हुज्जाज के रुप में बिहार राज्य हज समिति पटना कार्यालय में योगदान हेतु विरमन पर विचार हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ0 मो0 मोतिउर रहमान, सहायक प्राचार्य, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर उर्दू विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को नियमानुसार अवकाश लेते हुए हज पर जाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी।**

मद सं0 12. शिवनन्दन नन्दकिशोर मिश्र महाविद्यालय, भैरवस्थान, झंझारपुर, मधुबनी में दान–दाता सदस्य घोषित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः **शिवनन्दन नन्दकिशोर मिश्र महाविद्यालय, भैरवस्थान, झंझारपुर, मधुबनी में दान–दाता सदस्य के रुप में श्री केशव किशोर मिश्र, श्री सुजीत कुमार मिश्र, श्री ईशनाथ झा एवं श्री प्रवीण कुमार मिश्र के नाम को सर्वसम्मति से अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया गया।**

मद सं0 13. श्री अविनाश कुमार सिंह निम्न वर्गीय लिपिक एम0के0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा द्वारा दिनांक 01.04.2017 से 02.11.2023 (6 वर्ष 07 महीना 02 दिन) तक चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से, अभिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।**

मद सं0 14. श्री सीताराम चौधरी, च0व0क0, एम0एल0एस0एम0 कॉलेज, दरभंगा का माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा MJC 4058/2019 में दिये गये न्यायादेश के अलोक में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर की गई नियुक्ति/प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 15. विश्वविद्यालय में कार्य सम्पादित करने वाले आकस्मिक मजदूरों के नियोजन प्रक्रिया/भुगतान प्रक्रिया पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से, प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मद सं0 01 श्रीमती स्वाति कुमारी, चर्यालिपिक, एस0बी0एस0एस0 कॉलेज, बेगूसराय की नियुक्ति की विसंगति को विश्वविद्यालय ज्ञापांक **SC/88/24** दिनांक 01.06.2024 द्वारा सुधार का घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही इसी प्रकार के अन्य मामले को निष्पादन कराए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मद सं0 02 **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में अजय कुमार साह, निम्न वर्गीय लिपिक, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा का निरस्त अधिसूचना ज्ञापांक C/DR-I/12384A/22 दिनांक 11.03.2022 को निष्प्रभाव करते हुए पूर्व से अधिसूचित तिथि 27.09.16 के प्रभाव से निम्न वर्गीय लिपिक पद के अनुरुप सभी अनुवर्ती लाभ दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय ज्ञापांक C/DR-I/13230-41/24 दिनांक 13.07.2024 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।**

निर्णयः सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय ज्ञापांक **C/DR-I-4/132301/24** दिनांक 13.07. 2024 घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्यान्य मद सं0 03 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान के प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 30.04.2024 में लिए गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 04 विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालयों में लाईटनिंग रॉड/एरेस्टर लगाए जाने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों/महाविद्यालयों में लाईटनिंग रॉड/एरेस्टर लगाए जाने की सहमति प्रदान की गयी।

अन्यान्य मद सं0 05 विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में अग्नि सुरक्षा प्रदान किए जाने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार अंतर्गत संचालिंत महाविद्यालयों में अग्नि सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु अग्निशामक यंत्र अविलंब संसाधित किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं0 06 राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के अनुरुप शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकों के क्रय किए जाने पर विचार।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 के अनुरुप विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पुस्तकों के क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं0 07 राज्य सरकार के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन संचालित महाविद्यालयों में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग लैब निर्माण कराये जाने पर विचार।

निर्णयः राज्य सरकार के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय क्षेत्राधीन संचालित महाविद्यालयों में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग लैब निर्माण कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं0 08 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं एडभांस रिसर्च लैब के सौंदर्यीकरण सप्लाई इंस्टालेशन टेस्टींग, आवश्यक फर्निचर की व्यवस्था तथा आई0सी0टी0 का आंतरिक डिजाईन का कार्य कराए जाने पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से, प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद सं0 09 श्री चन्द्र कान्त झा, विश्वविद्यालय खेल विभाग के लंबित संचिका को संपादित करने पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उप–कुलसचिव (प्रथम) सम्बन्धित संचिका की समीक्षा कर नियमानुकुल निष्पादन हेतु कुलपति महोदय के समक्ष उपस्थापित करेंगे।**

अन्यान्य मद सं0 10 डॉ0 दिलीप चौधरी ने प्रस्ताव किया कि चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में इंडस्ट्रीयल कैमस्ट्री के अध्ययन से संबंधित प्रस्ताव जो सभी निकाय से अनुमोदित है उसे महामहिम के अनुमोदनार्थ भेजने पर विचार।

निर्णयः **चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में इंडस्ट्रीयल कैमस्ट्री के अध्ययन से संबंधित प्रस्ताव जो सभी निकाय से अनुमोदित है अभिषद् में अनुमोदनोपरान्त महामहिम के अनुमोदनार्थ भेजे जाने का निर्णय लिया गया।**

अन्यान्य मद सं0 11 विश्वविद्यालय में वैसे कार्यरत सफाई कार्य कर रहे श्रमिक/कर्मी जिसके द्वारा भूमि अतिक्रमण किया गया है उसे मुक्त कराये जाने पर विचार।

निर्णयः **विश्वविद्यालय में वैसे कार्यरत सफाई कार्य कर रहे श्रमिक/कर्मी जिसके द्वारा भूमि अतिक्रमण किया गया है उसकी जाँच करने हेतु उप–कुलसचिव (प्रथम) के साथ अभिषद् सदस्य श्रीमती मीना कुमारी को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मद सं0 12 डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी के प्रस्ताव डॉ0 बाबुसाहेब झा, (शिक्षक) एवं श्री भगवान झा, (कर्मचारी) एम0एल0एस0एम0 कॉलेज, दरभंगा के अवकाशोपरान्त अद्यतन लंबित भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णयः **डॉ0 बाबुसाहेब झा, (शिक्षक) एवं श्री भगवान झा, (कर्मचारी) एम0एल0एस0एम0 कॉलेज, दरभंगा के अवकाशोपरान्त अद्यतन लंबित भुगतान से संबंधित मामले को देखने हेतु अध्यक्ष सह कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मद सं0 13 डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव किया कि श्री विनय कुमार झा एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में सेवा सामंजन पर विचार।

निर्णयः **श्री विनय कुमार झा एवं अन्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में सेवा सामंजन एवं बजट में प्रावधान कर भुगतान हेतु राज्य सरकार से माँग करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

अन्यान्य मद सं0 14 अभिषद् सदस्य श्री सुजीत कुमार पासवान ने प्रस्ताव किया कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय के वैसे शिक्षक/कर्मचारी जिसका विश्वविद्यालय से वेतन के निर्धारण के पश्चात बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग को भेजा गया था यदि वहाँ से वेतन सत्यापन पत्र आ गया हो तो उनके बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाए।

निर्णयः **महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय के वैसे शिक्षक/कर्मचारी जिनके विश्वविद्यालय निकाय से अनुमोदित वेतन निर्धारण एवं राज्य सरकार से पी0भी0सी0 आने के उपरान्त भुगतान लंबित है वैसे सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सूची निर्माण कर भुगतानार्थ राशि राज्य सरकार से माँग किये जाने का निर्णय लिया गया तथा राशि प्राप्ति उपरान्त नियमानुकूल भुगतान पर सहमति बनी।**

अन्यान्य मद सं0 15 नैक मूल्यांकित विश्वविद्यालय होने के उपरान्त पी0एम0–उषा योजना के अंतर्गत प्रावधान की गई राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त कराए जाने पर विचार।

निर्णयः **नैक मूल्यांकित विश्वविद्यालय होने के उपरान्त पी0एम0–उषा योजना के अंतर्गत प्रावधान की गई राशि विश्वविद्यालय को अद्यतन अप्राप्त है।अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कार्य को कराने के स्थानीय सांसद सह सदस्य अभिषद्, श्री गोपाल जी ठाकुर को अधिकृत किया जाय।**

अन्यान्य मद सं0 16 श्री गोपाल जी ठाकुर ने ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम महिला प्रौद्यगिकी (WIT) के संचालन गतिरोध दुर करने तथा नए पाठ्यक्रम के संचालन होने के लिए निदेशक के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से, धन्यवाद प्रस्ताव अभिषद् में स्वीकृत किया गया।

अन्यान्य मद सं0 17 श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा निम्नांकित प्रस्ताव विचारार्थ हेतु उपस्थापित किया गया।

- अभिषद् की बैठक की कार्यसूची ससमय सदस्यों को प्राप्त कराया जाए।
- बेनीपुर महाविद्यालय में अनुबंध पर नियुक्त कार्यरत कर्मी के मामले को देखा जाए।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को क्रेन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने के प्रस्ताव पर अद्यतन क्या कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा किया गया इसे देखकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जानकारी प्रदान किया जाय।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, में अर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण से संबंधित पटना, गुजरात के प्रावधान को अध्ययन कर दरभंगा में निर्माण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर सुचित किया जाय।
- संम्बद्ध महाविद्यालय में कार्यरत वर्तमान अवकाश प्राप्त शिक्षक डॉ0 राम मोहन झा एवं उनकी पत्नीके मामले पर मानवीयता पूर्वक निर्णय लिया जाय।
- खेलो इंडिया में अद्यतन स्थिति का समीक्षा कर राशि उपलब्ध हो इस हेतु समेकित सूचना से अवगत कराया जाय।
- पूर्व में मेरे द्वारा उपस्थापित प्रस्तावों पर कार्यों की जानकारी उपलब्ध करायी जाय।

(325)

- मिथिला शोध संस्थान के पाण्डुलिपि, संरक्षण एवं अतिक्रमण किए गए जमीन दोनों को देखने का अनुरोध माननीय कुलपति महोदय से किया ।
- 9 लिखित प्रस्तावों की सूची को कार्यान्वित किए जाने हेतु कुलपति महोदय से अनुरोध किया गया।
- हिमांशु चन्द्र चौधरी, एम0 आर0 एम0 कॉलेज, दरभंगा के अनुरोध को देखे जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया।

निर्णयः सर्वसम्मति से, इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तदुपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/—
(डॉ0 अजय कुमार पंडित)
कुलसचिव—सह—सचिव

ह0/—
(प्रो0 संजय कुमार चौधरी)
कुलपति—सह—अध्यक्ष

ज्ञापांक UB-775/24

दिनांक 15/07/2024

प्रतिलिपि प्रेषितः—

1. **अभिषद् के सभी माननीय सदस्य,** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. **सचिव,** उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
3. **निदेशक,** उच्च शिक्षा, बिहार, पटना;
4. **उप—सचिव,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. **सभी पदाधिकारी,** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट),** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. **कुलपति के सचिव/प्रति—कुलपति/वित्तीय परामर्शी/ कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

15/07/2024
कुलसचिव